उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय

सैफई, इटावा(उ0प्र0)–206130

Email : upums.registrar@gmail.com

पत्रांक यूपीयूएमएस / अनु0प्रको0(337–सीडी) / 2023–24 4571/E

दिनांक : 18 19 जनवरी, 2024

सेवा में

मे0 सन फैसिलिटी सर्विसेस (प्रा0) लि0,
ई–1 / 654, विशाल खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ–226010

विषय : डेडिकेटेड हास्पिटल एरिया एण्ड अदर एरिया क्लीनिंग सेनीटेशन सेवाओं हेतु न्यूनतम वेतन (न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार) दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विश्वविद्यालय एवं आपकी फर्म के मध्य डेडिकेटेड हास्पिटल एरिया एण्ड अदर एरिया क्लीनिंग सेनीटेशन सेवाओं हेतु स्थापित जेम अनुबंध संख्या GEMC-511687748735280 दिनांक 17.08.2022 के अनुसार आपकी फर्म द्वारा कार्य किया जा रहा है। आप द्वारा दिये गये अनुरोध पत्र एवं सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में दिनांक 01.10.2023 से बिल निम्नवत् प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें :–

1. सेवा प्रदाता फर्म मे0 सन फेसिलिटी के अन्तर्गत कार्यरत अधिकतम 366 कार्मिक (रिलीवर सहित) को दिनांक 01.10.2023 से रू0 10275 / – प्रतिमाह / प्रति कार्मिक वेतन सेवा प्रदाता फर्म को देय होगा। साथ ही यदि भविष्य में अनुबंध विस्तार किया जाता है तो उक्त समय भी फर्म को प्रभावी न्यूनतम वेजेज के अनुसार ही भुगतान किया जायेगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अन्तर्गत वर्ष में 02 बार 01 अप्रैल तथा 01 अक्टूबर को वेजेज रिवाईज किये जाते है। जब भी नयी दरें लागू होंगी इसी के अनुसार भुगतान किया जायेगा।
2. रू0 10275 / – के अनुसार ईपीएफ के 13 प्रतिशत नियोक्ता अंशदान दिया जायेगा।
3. रू0 10275 / – के आधार पर 3.25 प्रतिशत ईएसआई का अंशदान विश्वविद्यालय द्वारा सेवा प्रदाता फर्म को दिया जायेगा।
4. सर्विस चार्ज उपरोक्तानुसार बढ़ायी जा रही न्यूनतम मजदूरी पर फर्म को देय नही होगा। चूकि अनुबंध अवार्ड करते समय जो धनराशि सर्विस चार्ज के रूप में ली जा रही थी, उसी धनराशि का भुगतान फर्म को किया जायेगा। साथ ही मैटेरियल की धनराशि का भुगतान भी अनुबंध में दी गयी धनराशि के अनुसार किया जायेगा। अतः स्पष्ट है कि सर्विस चार्ज एवं मैटेरियल की धनराशि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नही किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त कोई भी चार्ज देय नही होगा।

(डॉ. चन्द्रवीर सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वित्त अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि फर्म के अधीन कार्यरत कार्मिकों को बढ़ी हुयी दरों पर भुगतान प्राप्त हो रहा है, हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करे।
2. चिकित्सा अधीक्षक एवं प्रभारी सेनीटेशन।
3. प्रभारी सीएसी।
4. वैयक्तिक सहायक, कुलपति (मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ)।

Chandr

(डॉ. चन्द्रवीर सिंह)
कुलसचिव

Mr. Ravi
20.01.24